न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 164 / 2022 (जी.सी.एम.एस. 2022 / 236)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जरिए अध्यक्ष राजपाल सिंह पुत्र जीत सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 08.08.2022

उपस्थित: 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 10.10.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 58 एफ के मुरब्बा नम्बर 33 पुराना, नया 29 के किला नम्बर 8 ता 12 प्रत्येक सालम–सालम कुल 5 बीघा नहरी भूमि चक 58 एफ के श्री गुरूद्वारा साहिब यानि वादी के बतौर माफी अलॉट की हुई थी। जिसका इन्द्राज माफी गुरूद्वारा के नाम से जमाबन्दी सम्वत 2017 ता 2020 में दर्ज हुआ। श्री गुरूद्वारा साहिब के नाम दर्ज भूमि को उस वक्त का ग्रन्थी गुरदित सिंह पुत्र नन्द सिंह काश्त करता था। जिस कारण काश्तकार की हैसियत से उसका नाम जमाबन्दी सम्वत 2017 ता 2020 में दर्ज हो गया। जबकि काननून प्रश्नगत भूमि का खातेदार गुरूद्वारा साहिब था। उसके बाद बनने वाली जमाबदी सम्वत 2021 ता 2024 में माफी गुरूद्वारा का नाम हटाया जाकर माफी ग्रन्थी गुरदत सिंह वल्द नन्द सिंह ग्रन्थी का नाम दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात मिसल बन्दोबस्त विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 तैयार की गई, तो बन्दोबस्त विभाग ने पिछली जमाबन्दी के आधार पर गुरदत सिंह वल्द नन्द सिंह कौम मेहरा के नाम भूमि बतौर गैर खातेदार दर्ज कर दी और मुरब्बा नम्बर 33 का नम्बर बदलकर 29 दर्ज किया गया। जबकि उस वक्त गुरदत सिंह वल्द नन्द सिंह कौम मेहरा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। जब उक्त प्रश्नगत भूमि माफी गुरूद्वारा के नाम से गुरूद्वारा को दे दी गई थी। तो भूमि गैरखातेदारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त इन्द्राज विधि विरूद्व किया गया है, जो प्रारम्भतः अवैध है। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में गुरदत सिंह की जाति मेहरा से बदलकर बावरी दर्ज कर दी गई। इस तरह राजस्व रिकॉर्ड में वादी श्री गुरूद्वारा साहिब का नाम हटाया जाकर गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति बावरी दर्ज कर दिया गया। जिससे वादी अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो गया है। जिसका वादी को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। जिस कारण वादी उक्त वर्णित भूमि की पुनः खातेदारी घोषणा अपने हक में करवाने व मार्फत अध्यक्ष दावा ला पाने का अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52 / 47 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति वावरी का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। हरखास आम की तामील जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाई गई। अखबार की प्रति सामिल मिसल की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2745 दिनांक 27.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

राजस्व रिकॉर्ड में चक 58 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति बावरी साकिन देह गैरखातेदार दर्ज है। मुताबिक मौका जांच रिपोर्ट गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह की मृत्यू हो चुकी है। वर्तमान में उक्त रकबे को उनके दोहित लक्ष्मण सिंह पुत्र मेहर सिंह हाल निवासी मुक्तसर पंजाब ने जोगेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ को 2024–25 वर्ष हेतु ठेके पर काश्त करने के लिए दे रखी है। वर्तमान में उक्त रकबे पर काश्त नहीं की हुई।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/47 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू. अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2017 ता 2020 की प्रमाणित प्रति, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2066 ता 2069 के खाता संख्या 47/40 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति बावरी के स्थान पर श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 58 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति बावरी साकिन देह गैरखातेदार दर्ज है। मुताबिक मौका जांच रिपोर्ट गुरदत सिंह पुत्र नन्द सिंह की मृत्यू हो चुकी है। वर्तमान में उक्त रकबे को उनके दोहित लक्ष्मण सिंह पुत्र मेहर सिंह हाल निवासी मुक्तसर पंजाब ने जोगेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ को 2024–25 वर्ष हेतु ठेके पर काश्त करने के लिए दे रखी है। वर्तमान में उक्त रकबे पर काश्त नहीं की हुई है। लिहाजा राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2017 ता 2020 के खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि **माफी गुरूद्वारा गुरदित सिंह वल्द नन्द सिंह ग्रथीं** के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उसके बाद की जमाबंदी सम्वत 2021 ता 2024 के खाता संख्या 14 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि **माफी ग्रन्थी गुरदत सिंह वल्द नन्द सिंह ग्रथीं** के नाम से दर्ज हो गई। उसके उपरान्त मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 के खाता संख्या 14 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 8 ता 12 की कुल 5 बीघा भूमि **गुरदत सिंह वल्द नन्द सिंह कौम मेहरा साकिन देह गैरखातेदार** दर्ज हुई। इन्तकाल संख्या 194 दिनांक 19.06.2015 से गुरदत सिंह वल्द नन्द सिंह की जाति मेहरा से बावरी कर दी गई है। वर्तमान में उक्त भूमि **गुरदत्त सिंह वल्द नन्द सिंह जाति बावरी साकिन देह गैरखातेदार** दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 164 / 2022

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ. नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 53/52 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में गुरदत्त सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति बावरी का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर श्री गुरूद्वारा साहिब 58 एफ दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर